राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
56/2021

रजू दिनांक
05.07.2021

निर्णय दिनांक
18.06.2024

उनवान

1. ठाकरसिंह पुत्र स्व0 रामनाथ
2. ताराचन्द पुत्र स्व0 रामनाथ
3. सीताराम पुत्र स्व0 रामनाथ जातियान मीणा निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।

:–वादीगण।

बनाम

1. केसरदेवी पुत्री स्व. रामनाथ पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम बस्सी तह0 बस्सी हाल निवासी ग्राम गढ,गढ की कोठिया तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
2. कौशल्या पुत्री स्व. रामनाथ पत्नी रामनाथ जाति मीना निवासी ग्राम बस्सी तह0 बस्सी हाल निवासी ग्राम गढ, टहरिया की ढाणी तह0 बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण

प्रतिवादीगण।

3. कालू पुत्र स्व. काना
4. सुनिल पुत्र स्व0 काना
5. गोपाल पुत्र स्व0 बद्री
6. शंकर पुत्र स्व0 बद्री
7. लल्लू पुत्र स्व0 बद्री
8. कैलाश पुत्र स्व0 बद्री
9. केसर देवी बेवा स्व बद्री
10. नाथूलाल पुत्र स्व. भौरीलाल
11. पूरणमल पुत्र स्व. भौरीलाल समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण
12. उप पंजीयक बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण।

:– तर. प्रतिवादीगण।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट0 1955।

उपस्थितीः–
1 श्री सुधीर शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हम वादी संख्या 1 व 3 अनुसूचित जनजाति समाज के व्यक्ति है। जिनके परिवार का सजरा वाद पत्र मे अंकित है। भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 866/01.1300, 871/0.9600, 919/3.6900 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी मे स्थित है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित विवादित आराजी संपूर्ण मे वादीगण के मद संख्या 3 मे विर्णित आराजी मे हिस्सा 530/615 की भूमि मे वादीगण के ही काननून हक व अधिकार निहित है कानूनी हक व अधिकार ओल्ड हिन्दू विधि के प्रावधानों के तहत वादीगण के ही बनते है एवं वादीगण का ही कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई हक व अधिकार नही बनते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व. रामनाथ पुत्र श्रवण अनुसूचित जनजाति के

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

सदस्य थे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 भी अनुसूचिज जनजाति के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ पुत्र श्रवण दिनांक 18.07.2020 को फौत हो गये जो विवादित आराजी के 530/615 हिस्से के खातेदार काश्तकार मृत्यु के समय थे। ओल्ड हिन्दू विधि के प्रावधानों के तहत एक अनुसूचित जनजाति के खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी विरासत के आधार पर मृतक की खातेदारी भूमि उसे पुत्र व बेवा/पत्नि के ही कानूनन हक व अधिकार माने गय है मृतक की पुत्रीयों के विरासत के आधार पर कोई कानूनी हक व अधिकार नही माने गये है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की माता का देहान्त सन् 2015 मे ही हो गया था।

2. विवादित आराजी के विरासत का नामांतकरण राजस्व कर्मचारियों को ओल्ड हिन्दू विधि के प्रावधानों के तहत भरना व तस्दीक करना चाहिए था परन्तु रामनाथ पुत्र श्रवण की विरासत का इंतकाल संख्या 1627 दिनांक 01.10.2020 को तस्दीक करते समय तहसीलदार बस्सी ने वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तस्दीक कर दिया। जिसकी वादीगण को कोई पूर्व जानकारी नही थी। उक्त कानूनन गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिगर व्यक्तियों से मिलकर वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करती है व विवादित आराजी को दिगर जगह बेचान करने की जुस्तजू मे है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवान के लिए वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा तो इन्कार कर दिया। इसलिए वादीगण को यह दावा बाबत धोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 13 तर०प्रतिवादीगण है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष वादीगण द्वारा नही चाहा गया है।

3. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि हैः-

(क) वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत घोषणा का डिक्री किया जाकर वादपत्र के मद संख्या 2 मे वर्णित भूमि विवादग्रस्त कं संपूर्ण हिस्से की व वादपत्र के मद संख्या 3 मे वर्णित भूमि विवादग्रस्त के हिस्सा 530/615 के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे व भूमि विवादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किये जाने के आदेश प्रदान करे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की वे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा न डाले, न ही बेचान करे, न ही वादीगण को बेदखल करे एव न ही पुख्ता निर्माण करे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ)दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही आये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई ।

5. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि मे साक्ष्य के रूप ठाकरसिंह पुत्र रामनाथ स्वय का का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01, विष्णु प्रकाश शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा का शपथ पत्र पी. डब्लू. 02 पेश किए है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2076-79 प्रदर्श 1, 2, नकल जमाबंदी संवत 2068 प्रदर्श 3 पेश किये है।

6. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने उदाहरण के रूप मे आरबीजे 2021 पेज संख्या 394-398, आरबीजे 2007 पेज 114 से 119, आर.आर. टी. 2014(2) पेज संख्या 901- 903, आरबीजे 2002 पेज 23 से 27, आरबीजे 2021 पेज संख्या 670, आरबीजे 1998 पेज संख्या 465 से 459 आरबीजे 2017 पेज संख्या 230-33 पेश किये है। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2068 प्रदर्श 3 के अनुसार आराजी विवादित वादीगण के पिता रामनाथ की खातेदारी की होना साबित है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2076-79 प्रदर्श 1, 2 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित वादीगण की असल प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है यह आराजी मृतक रामनाथ की मृत्यु के पश्चात जरिये विरासत जरिये इंतकाल संख्या 1627 से पक्षकरान की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

मे दर्ज हुई है। मुख्य विवाद यह है कि रामनाथ की मृत्यु के पश्चात रामनाथ के पुत्र व पुत्रियों के नाम विरासत दर्ज की गई है वादीगण का अभिकथन है कि इस आराजी मे मृतक रामनाथ की पुत्रियो को अधिकार प्राप्त नही होते है। चूकि आराजी विवादित मे प्रतिवादीया केसर देवी पुत्री रामनाथ व कौशल्या देवी पुत्री रामनाथ की खातेदारी मे मुताबिक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है प्रतिवादीया महिला है किसी भी महिला के अधिकारों को समाप्त किया जाना न्यायहित मे उचित प्रतित नही होता है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। इसलिए महिलाओं के नाम दर्ज हिस्से को पुरुष(भाईयों) के नाम किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बाबत अतंर्गत धारा 88 व 188 बाबत आराजी ख.नं. हाल 866/01.1300, 871/0.9600, 919/3.6900 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

18/6/2024
मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर ग्रामीण

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)